Case Study-19

अवैध साफ्टवेयर से तत्काल टिकटों का कारोबार।

प्रजीत कुमार सिंह
मुख्य सतर्कता निरीक्षक/यातायात

श्रोत सूचना कि "क" स्टेषन के सामने स्टेषन रोड पर स्थित एक ट्रैवेल एजेन्सी द्वारा अवैध साफ्टवेयर का प्रयोग कर तत्काल टिकट बनाये जाते हैं और टिकटों का अवैध कारोबार किया जाता है, के आधार पर सतर्कता दल द्वारा आर. पी. एफ. के दो कांस्टेबलों को साथ मे लेकर दिनांक 27.03.19 को उक्त ट्रैवेल एजेन्सी पर छापेमारी की गई।

1. जॉच के क्रम में सर्वप्रथम उक्त एजेन्सी की निगरानी करने के बाद लगभग 11.05 बजे सतर्कता दल जॉच हेतु एजेन्सी (दुकान) के अन्दर गया, वहॉ एक व्यक्ति लैपटाप पर बैठकर कार्य कर रहा था तथा कुछ अन्य लोग एजेन्सी में अन्दर बैठे हुए थे। सतर्कता दल द्वारा अपना परिचय देकर तथा आने का मकसद बताकर उक्त दुकान को 11.10 बजे से 12.00 बजे तक चेक किया गया। पूछताछ में लैपटाप पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम व पता बताया तथा बताया कि मैं ही इस एजेन्सी का संचालक हूॅ।

2. दुकान एवं लैपटाप की जॉच में दराज में एक अदद आरक्षित रेल काउंटर टिकट बरामद हुआ तथा लैपटाप को चेक करने पर पाया गया कि दुकान संचालक द्वारा अवैध साफ्टवेयर ANMS के माध्यम से कुल चार तत्काल E टिकट बनाये गये थे। उक्त के अलावा पूछताछ तथा लैपटाप को चेक करने पर एजेन्सी संचालक द्वारा पूर्व की तिथियों के बनाये गये कुल 29 E टिकट पाये गये जिनका प्रिन्ट–आउट निकाला गया। उक्त के सम्बंध में संचालक ने पूछताछ मे स्वीकार किया कि वह आधार कार्ड बनाने तथा फ्लाइट का टिकट बुक करने का काम करता है जिसके लिए दुकान पर आने वाले लोगों की आई. डी. पर फर्जी ई–मेल आई. डी. बनाकर ANMS साफ्टवेयर की मदद से टिकट बनाता है और मूल्य से अधिक पैसा लेकर बेचता है।

3. उक्त एजेन्सी (दुकान) की तलाषी में एक अदद एस.बी.आई. बैंक पास बुक, 3 अदद डोंगल, 2 अदद Just Click का टोकन व 4 अदद आधार कार्ड पाया गया। उक्त बरामद सामान जो टिकट बनाने में सहायक हैं के बारे में पूछने पर एजेन्सी संचालक ने बताया कि वह दूसरे के नाम पर आई. डी. बनाकर उक्त साफ्टवेयर की मदद से टिकट बनाता है और अधिक पैसा लेकर उक्त टिकटों को बेच देता है। उक्त टिकटों को बनाये जाने के सम्बंध में पूछने पर संचालक ने बताया कि उक्त टिकट ANMS साफ्टवेयर की मदद से बनाये गये हैं। उसने बताया कि उक्त साफ्टवेयर की मदद से तत्काल आरक्षण के निर्धारित समय से पूर्व ही यात्रियों का पूरा डेटा एवं पेमेन्ट डिटेल सिस्टम मे फीड कर दिया जाता है तथा 11.00 बजते

ही Enter Key प्रेस करते ही एक साथ कई टिकट (साफ्टवेयर की क्षमता अनुसार) बन जाते हैं एवं उक्त साफ्टवेयर Capcha Code भी Bypass कर देता है, जिससे अविलम्ब टिकट बन जाते हैं।

4. जॉच के दौरान ही संचालक द्वारा विभिन्न आई. डी. का प्रयोग कर अप्रैल/2018 से मार्च/2019 के मध्य बनाये गये टिकटों का डिटेल आई.आर.सी.टी.सी. से प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार संचालक द्वारा उक्त अवधि मे इस साफ्टवेयर की मदद से कुल रू **2035175.00** मूल्य का टिकट बनाया गया था। उक्त सभी आई. डी. को आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा ब्लाक करा दिया गया। संचालक द्वारा बनाये गये उक्त टिकटों में 12 टिकट आगामी तिथियों के पाये गये तथा दिनांक 27.03.19 को बनाये गये 4 तत्काल E टिकट अर्थात् कुल 16 टिकटों को सिस्टम से सीज कराया गया। एजेन्सी संचालक को रेल टिकट के अवैध करोबार मे लिप्त पाकर आर. पी. एफ. पोस्ट को सुपुर्द किया गया। आर. पी. एफ. द्वारा उसके विरूद्ध रेलवे एक्ट–143 के तहत कार्यवाही की गई है।

उपरोक्त पर रोकथाम हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारी, क्रिस/नई दिल्ली को पद्धति सुधार पत्र भेजा गया है।

****